वन विभाग हरियाणा

"आवश्यक सूचना–13"

(काष्ठ आधारित उद्योगों के नए लाईसैंस प्रदान करने हेतू)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा प्रदेश द्वारा दिनांक 24.5.2018 को हुई सभा में यह निर्णय लिया गया है कि काष्ठ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन हेतू ऑनलाईन आवेदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल www.haryanaforest.govt.in खोल दिया जाए । अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वह नए लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन हेतू अपने आवेदन विभाग की वेबसाईट www.haryanaforest.govt.in पर ऑनलाईन मोड में दिनांक 30.10.2018 तक प्रस्तुत कर सकते हैं । इससे सम्बन्धित IP address http://164.100.137.122/ है ।

नए लाईसैंस रजिस्ट्रेशन हेतू आवेदन के लिए "निर्धारित आवेदन पत्र (online)", "निर्धारित शर्तें एवं नियम" (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) एवं "आवेदन पत्र भरने हेतू दिशा–निर्देश" विभाग की वेबसाईट www.haryanaforest.govt.in पर पहले से ही उपलब्ध हैं । आवेदनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदन पत्र भरने से पहले उपरोक्त अनुसार "निर्धारित शर्तें एवं नियम" तथा "आवेदन पत्र भरने हेतू दिशा–निर्देशों" का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लेवें व उसी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें । यदि प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में पाया गया कि आवेदक शर्तें एवं नियम पूर्ण नहीं करता या आवेदन पत्र दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं भरा गया है या अपूर्ण है तो ऐसे आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाऐगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी ।

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–1, एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी.–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला ।